अरावली डेवलपमेंट फीचर्स सर्विस (ए.डी.एफ.एस.)

विकास के मुद्दों पर अरावली की सूचना सेवा

अंक –87 क्रमांक : नीति और नीयत दिसम्बर 2010

प्रिय पाठको,

राजस्थान सरकार द्वारा अगस्त 2010 में स्वैच्छिक क्षेत्र सम्बन्धी नीति की विधिवत् घोषणा की गयी है। लम्बे समय से समुदायों के साथ जुड़ कर, सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव के लिए संघर्षरत् स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्य को सरकार द्वारा इस नीति के माध्यम से स्वीकारा गया है। स्वैच्छिक जगत् के तमाम कार्यकर्ताओं के प्रयास, एक लम्बे अंतराल के बाद, स्वैच्छिक प्रयासों की (सरकार की नजरों में) प्रासंगिकता के इस मुकाम को हासिल कर पाए हैं।

तेजी से बदलते आर्थिक परिवेश में सरकार द्वारा आर्थिक विकास के सन्दर्भ में निजी क्षेत्र हेतु अपनाई गई नीतियों से आर्थिक विकास को एक बड़ा सहारा मिला है। इसी आर्थिक विकास ने सरकार के पास वित्तीय संसाधनों का एक बड़ा कोष भी निर्मित किया है जिसका उपयोग, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समुदायों के विकास के लिए किया जा रहा है। जिस प्रकार सरकार द्वारा आर्थिक विकास के लिए निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया है, उसी प्रकार से Inclusive Development के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र से अपेक्षाएं इस नीति के माध्यम से व्यक्त होती हैं। सरकार की इस पहल को एक सकारात्मक कदम के रूप में देखने से ही स्वैच्छिक क्षेत्र की व्यापक संभावनाओं को वास्तविक क्रियाकलापों में बदलने का रास्ता हमें दिख सकता है।

नीति निर्माण के तरीके को लेकर सरकार से अनुरोध किया गया था कि स्वैच्छिक जगत् से, स्वैच्छिक जगत की नीति निर्मित करते वक्त, इस पर चर्चा ज़रूर की जाये तथा अरावली द्वारा क्षेत्रीय आधार पर ऐसी चर्चाएं आयोजित की गईं। यहां यह समझना आवश्यक है कि वर्तमान स्वरूप में, यह नीति, वास्तव में सरकारी विभागों हेतु गैर–सरकारी संस्थाओं के साथ भागीदारी करने के दिशानिर्देश अधिक लगते हैं बनिस्पत कि स्वैच्छिक जगत की प्रोत्साहन नीति। अब जब यह नीति अमल में लायी जा रही है तो क्या इस नीति के माध्यम से हम विकास की व्यापक चुनौतियों से संघर्ष करने में अपना योगदान बढ़ा कर दे पाएंगे? क्या स्वैच्छिक जगत् अपनी क्षमताओं से Inclusive Development की चुनौतियों को अंगीकृत करना चाहेगा ? यदि हमारा जवाब 'हां' है, तो इस नीति के क्रियान्वयन में स्वैच्छिक जगत् को पैनी नज़र रख, सजगता से अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा।

इस नीति में सरकारी कार्यक्रमों में गैर सरकारी संगठनों के जुड़ाव के लिए संस्थागत् ढांचा (Institutional Structure) प्रस्तावित किया गया है। राज्य स्तर पर जहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 'शीर्ष रणनीतिक अभिकरण' (स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद) की स्थापना का प्रावधान है, जिसके सदस्य स्वैच्छिक क्षेत्र से होंगे, तो दूसरी तरफ एक प्रशासनिक केन्द्र – 'कार्यान्वयन एवं मान्यता अभिकरण' की स्थापना का प्रावधान भी है। इस प्रशासनिक अभिकरण का मुख्य कार्य 'प्रभावी स्वैच्छिक संगठन क्षेत्र को योग्य बनाना, प्रेरित करना एवं उसका सशक्तिकरण करना' होगा। इसके साथ ही, यह केन्द्र, सरकारी अनुदान (जनता का पैसा) प्राप्त करने योग्य स्वैच्छिक संगठनों का चयन भी करेगा। इस कार्य के लिए प्रशासनिक अभिकरण में ''सरकार द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान लेखा सेवा तथा राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा के अधिकारियों का प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन किया जायेगा।'' सरकारी तंत्र की मंशा इस प्रकार के 'राजकीय आरक्षण' से जो भी हो, लेकिन इस प्रकार के प्रावधान को नीति में सम्मिलित करके सरकार द्वारा स्वैच्छिक जगत् पर नियंत्रण का स्पष्ट संकेत दिया गया है। हम तो सरकार की मंशा से पूर्णतया सहमत हो भी जाएं, लेकिन क्या हमारा कार्य हमको अनेक मौकों पर सरकारी व्यवस्था की कार्यप्रणाली के विरोध में नहीं लाता? क्या ऐसा करने पर हमारी सरकारी अनुदान पर निर्भरता, निर्भीक रह पाएगी? पूर्व के अनुभव तो ऐसा नहीं बताते। लेकिन सरकार ने भी कुछ सोच कर ही इस तरह का प्रावधान रखा होगा। छठे वेतन आयोग के बाद सरकार के पास कार्मिकों की कमी नहीं रही है तथा बहुत सारी सेवाएं निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने के पश्चात् सामाजिक क्षेत्र में बढ़ते निवेश को देखते हुए क्या इस क्षेत्र में सरकारी 'नियंत्रण' आवश्यक समझा गया है? इस तरह के तमाम तर्क–वितर्क और बहस से काई सकारात्मक रास्ता नहीं निकाला जा सकता।

बतौर स्वैच्छिक जगत् हमको प्रशासनिक अभिकरण के हर कार्य पर पैनी नज़र रखनी होगी और सजगता से विश्लेषण करते रहना होगा, जिससे कि हम आत्म–नियंत्रण और अपने स्वैच्छिक स्वरूप को बरकरार रख पाएं। अंत में, बतौर स्वैच्छिक जगत्, हम यह आत्म–मंथन ज़रूर करें कि 'अपनों के आचरण' से ही सरकार को हमारी सीमाएं बांधने की भी पहल करनी पड़ी है।

नीति का पूर्ण दस्तावेज पाठकों के अध्ययन और विश्लेषण के लिए प्रस्तुत है।

– अरावली

स्वैच्छिक क्षेत्र सम्बन्धी नीति *

प्रस्तावना

यह नीति स्वतंत्र, सृजक एवं प्रभावी स्वैच्छिक क्षेत्र को विविधतापूर्ण कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने, समर्थ तथा स्वतन्त्र रूप से सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता है जिससे यह समाज की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति में अपना योगदान प्रदान कर सके जैसी भारत सरकार की स्वैच्छिक क्षेत्र सम्बन्धी नीति में व्यवस्था की गई है।

सेवा प्रदाय, आवाज उठाने तथा समाज के सशक्तीकरण के साथ–साथ विभागों, अभिकरणों एवं सार्वजनिक संस्थाओं की जवाबदेही सुधारने एवं समाज द्वारा सार्वजनिक सेवा, विशेष रूप से वंचित वर्गों की मांग उठाने में स्वैच्छिक क्षेत्रों की भूमिका से राजस्थान सरकार भली–भांति परिचित है। स्वैच्छिक क्षेत्र की उत्पत्ति ही इससे हुई है कि यह क्षेत्र प्रभावपूर्ण ढंग से राज्य की जनता के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

राजस्थान में स्वैच्छिक क्षेत्र का योगदान इस बात से ही दृष्टिगोचर होता है कि राज्य में स्वैच्छिक संगठनों की संख्या लगभग पांच सौ है। अन्य मुद्दों के अतिरिक्त, राज्य में स्वैच्छिक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया, इनकी कार्य प्रणाली एवं गतिविधियों के कारण विभिन्न अनुभव एवं धारणाएं उत्पन्न हुई हैं। इस क्षेत्र के विभिन्न टुकड़ों में विभाजित होने तथा समान रूप से प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सुसंगत एवं आम राय के अभाव में लक्षित लाभार्थियों की आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताएं प्रभावित हुई हैं। राज्य के विकास कार्यक्रमों में इनकी ऊर्जा के सर्वोत्तम उपयोग हेतु पूर्व में कोई नीति निर्धारित नहीं थी।

राज्य में स्वैच्छिक संगठनों की बहुत बड़ी संख्या एवं उनकी सीमित विश्वसनीयता राज्य सरकार, विशेष रूप से ग्रामीण विकास विकास विभाग की चिन्ता का विषय है।

* आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार (2010)

जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (डी.पी.आई.पी.) के प्रथम चरण की क्रियान्विति, राजस्थान सरकार एवं स्वैच्छिक क्षेत्र दोनों ही के लिए आंखें खोल देने वाला अनुभव रहा है तथा इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु और अधिक सहयोग की आवश्यकता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम की क्रियान्विति तथा सामाजिक अंकेक्षण के क्षेत्र में विश्वसनीय स्वैच्छिक क्षेत्र के और अधिक सक्रिय सहयोग एवं महत्त्वपूर्ण भूमिका हेतु राज्य सरकार सजग है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं यथा वृद्धाश्रम, वृद्धों हेतु डे–केयर सेन्टर, कमजोर वर्गों के लिए आजीविका प्रशिक्षण, नि:शक्तजनों हेतु विशेष विद्यालय, नशामुक्ति केन्द्र, घर से भागे हुए बच्चों हेतु आश्रयगृहों के संचालन आदि में स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

स्वैच्छिक क्षेत्र के विकास हेतु उचित वातावरण उत्पन्न कराने की दृष्टि से राजकीय नीति एवं क्रियान्वयन तन्त्र के मध्य समरसता की आवश्यकता है। साथ ही स्वैच्छिक क्षेत्र की गतिविधियों में उचित समन्वय सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है जिससे राज्य के विकास में सहयोगी जनता एवं सामाजिक संगठनों के योगदान एवं जिम्मेदारियों को तर्कपूर्ण ढंग से सशक्त किया जा सके। स्वैच्छिक संगठनों के विकास, राज्य व स्वैच्छिक संगठनों के संम्बन्धों को मजबूत करने तथा इन संगठनों को विकास की धारा से जोड़ने में यह नीति एक व्यापक ढांचे के रूप में मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वाह करने में सक्षम होगी।

2.0 नीति का क्षेत्र

भारत सरकार की स्वैच्छिक क्षेत्र सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के समान ही वे स्वैच्छिक संगठन इस नीति में सम्मिलित किए जाएंगे जो सामाजिक, आर्थिक, लोकोपकारी अथवा वैज्ञानिक एवं तकनीकी आधार पर जनसेवा के कार्यों में रत है।

वे स्वैच्छिक संगठन इस नीति के अन्तर्गत शामिल किए जाएंगे जिनकी निम्न विशेषताएं हों :

(अ) वे निजी अर्थात सरकार से अलग हैं।

(ब) मालिकों या निदेशकों को अर्जित लाभ नहीं देते हैं।

(स) वे स्वशासी हैं अर्थात सरकार के नियंत्रण में नहीं है।

(द) वे पंजीकृत अथवा अनौपचारिक समूह हैं जिनके निश्चित उद्देश्य एवं लक्ष्य परिभाषित हैं।

इन स्वैच्छिक संगठनों में समुदाय आधारित संगठन, गैर–राजकीय विकास संगठन, चेरिटेबल संगठन, सहयोगी संगठन, उक्त संगठनों के संघ या तंत्र तथा व्यावसायिक सदस्यता वाले संघ आदि शामिल होंगे।

3.0 नीति के लक्ष्य

सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता, विशेष रूप से वंचित वर्ग की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप और अधिक प्रगतिशील एवं उत्तरदायी बनाने में सहयोग करना तथा राज्य के विकास में स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग हेतु सहायक वातावरण उत्पन्न करना इस नीति वृहद लक्ष्य है। विशिष्ट उद्देश्यों में वे उद्देश्य भी सम्मिलित हैं जो भारत सरकार की स्वैच्छिक क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय नीति में शामिल किए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं :–

1. सेवा प्रदाय, आवाज उठाने, समुदाय का सशक्तीकरण करने एवं मुख्य धारा में शामिल होने में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका की पहचान करना।
2. स्वैच्छिक संगठनों के लिए सशक्त वातावरण का निर्माण करना जिससे उनकी उद्यमिता एवं प्रभावशीलता बढ़ सके तथा उनकी स्वायत्तता की सुरक्षा हो सके।
3. सरकार एवं स्वैच्छिक संगठनों के मध्य सहयोग को सुदृढ़ करना जिससे समुदाय संचालित हस्तक्षेप सुनिश्चित हो सके।
4. स्वैच्छिक संगठनों को वैधानिक तरीकों से वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु योग्य बनाना।
5. सरकार एवं स्वैच्छिक संगठनों द्वारा परस्पर सम्मान, विश्वास एवं साक्षा जवाबदेही के सिद्धान्तों के आधार पर कार्य करने वाली प्रणालियों की पहचान करना।

6. शासन एवं प्रबन्धन की पारदर्शी एवं जवाबदेही प्रणालियों को अपनाने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को प्रेरित करना।

7. मान्यता के तन्त्र के माध्यम से स्वैच्छिक संगठनों के क्रमबद्ध विकास को सुनिश्चित करना।

8. स्वैच्छिक संगठनों हेतु ऐसी पात्रता एवं मानदण्ड करना जिससे वे राज्य के विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक बन सकें।

इस नीति से निम्न बातें अपेक्षित हैं :–

(1) दृढ़ जवाबदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए स्वैच्छिक संगठनों के अबाध परिचालन हेतु सहायक वातावरण।

(2) स्वैच्छिक संगठनों की क्षमताओं में वांछित वृद्धि तथा कार्य करने हेतु एक सुदृढ़ ढांचा एवं सुव्यवस्थित प्रणाली।

(3) राज्य एवं स्थानीय स्तर पर स्वशासी एवं जवाबदेही स्वैच्छिक क्षेत्र एवं सरकार के मध्य सहयोगात्मक रवैया।

(4) सरकार, स्वैच्छिक संगठनों एवं दानदाताओं से प्राप्त अंशदान का दीर्घकालीन विकास हेतु पारदर्शी एवं दक्ष उपयोग।

(5) सार्वजनिक संसाधनों से राज्य के विकास हेतु प्राप्त विनियोजन की प्रभावशील मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन हेतु सुदृढ़ तंत्र तक पहुंच।

(6) स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों की कार्यक्षमता में वृद्धि।

(7) स्वैच्छिक संगठनों की मान्यता, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के बंटवारे हेतु एक सुसंगत प्रणाली।

4.0 रणनीतिक हस्तक्षेप

स्वैच्छिक संगठन क्षेत्र को सुदृढ़ एवं पुष्ट बनाने हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर निम्न रणनीतिक हस्तक्षेपों की अपेक्षा है,

(1) राज्य सरकार का प्रयास रहेगा कि सभी सम्बन्धित शासकीय नीतियों में राज्य, जिला एवं स्थानीय स्तर पर स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित हो।

(2) वर्तमान में स्वैच्छिक क्षेत्र सम्बन्धी लागू नियमों एवं कानूनों की सरकार द्वारा समीक्षा की जाएगी तथा उनका सरलीकरण करके तर्कसंगत बनाने के साथ–साथ उनकी स्वायत्तता बरकरार रखते हुए जवाबदेही बढ़ाई जाएगी।

(3) स्वैच्छिक क्षेत्रों के द्वारा मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा मानदण्डों का निर्धारण कर उनको सार्वजनिक क्षेत्राधिकार में रखा जाएगा ताकि सार्वजनिक निरीक्षण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिल सके।

(4) सरकार के सम्बन्धित विभागों एवं स्वैच्छिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों के सहपरामर्शी समूहों/मंचों या सहतंत्रों के गठन को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस हेतु जिला प्रशासन, जिला आयोजना निकायों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों, जिला परिषदों एवं स्थानीय निकायों को भी ऐसा करने हेतु प्रेरित किया जाएगा। विचारों, दृष्टिकोणों एवं सूचना के आदान–प्रदान के विशिष्ट अधिदेश तथा सुअवसरों की पहचान करने एवं संयुक्त रूप से कार्य करने के तन्त्र सहित ये समूह स्थाची मंच होंगे। सरकार द्वारा इन समूहों अथवा मंचों में स्वैच्छिक क्षेत्रों के विस्तृत प्रतिनिधित्व हेतु उचित तन्त्र की स्थापना की जाएगी।

(5) प्रमुख मुद्दों के समाधान के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर गठित सम्बन्धित समितियों, कार्यदलों एवं परामर्शी पैनलों में स्वैच्छिक संगठनों के विशेषज्ञों एवं स्वैच्छिक क्षेत्र की विशेषता का भी उपयोग किया जाएगा।

(6) स्वैच्छिक संगठनों के साथ क्रियान्वित किए जाने वाले साझे कार्यक्रमों की सरकार द्वारा पहचान की जाएगी। प्रत्येक साझे कार्यक्रम हेतु सरकार द्वारा विस्तृत क्षेत्र में कार्य करने में समर्थ प्रतिष्ठित संगठनों की निश्चित संख्या को सम्मिलित किया जाएगा। सरकार ऐसे साझे कार्यक्रमों का योजना दस्तावेजों में महत्त्वपूर्ण स्थान सुनिश्चित करेगी।

5.0 संस्थागत ढांचा

नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं उद्देश्यों को कार्यरूप में परिणत करने एवं लाभार्थियों के साथ व्यवहारिक सम्बन्ध कायम करने हेतु सशक्त संस्थागत ढांचे की आवश्यकता होती है। इस हेतु राज्य एवं जिला दोनों स्तरों पर दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। स्वैच्छिक क्षेत्र सम्बन्धी नीति के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत ढांचे के सम्बन्ध में निम्न मुख्य विचार सम्मिलित हैं।

(1) राज्य के सम्पूर्ण विकास की रणनीति बनाने एवं क्रियान्वयन में स्वैच्छिक क्षेत्र के योगदान के सम्बन्ध में नीति चर्चा एवं समीक्षा हेतु एक शीर्ष रणनीतिक अभिकरण।

(2) सरकार की प्रतिज्ञाओं एवं स्वैच्छिक क्षेत्र के निरीक्षण एवं मान्यता के समन्वय हेतु एक क्रियान्वयन अभिकरण।

(3) स्वैच्छिक संगठनों के साथ सहभागिता की क्रियान्विति में विभागों और जिलों को मुख्य भूमिका निभाने योग्य बनाना।

इस नीति के उद्देश्यों की प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण प्राप्ति हेतु एक त्रिस्तरीय ढांचा रखा गया है जिसमें निम्न सम्मिलित हैं :

(1) **शीर्ष रणनीतिक अभिकरण :** स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद के नाम से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह एक शीर्ष परिषद होगी जो राज्य के सम्पूर्ण विकास हेतु नीति प्रतिपादन में स्वैच्छिक क्षेत्र के रणनीतिक योगदान एवं नीतिपरक चर्चा का सृजन करेगी।

(2) **कार्यान्वयन एवं मान्यता अभिकरण :** स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र के नाम से स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधित्व वाला वैधानिक रूप से स्थापित यह एक स्वशासी निकाय होगा। नीति के तहत निर्धारित साझेदारी सिद्धान्तों एवं लक्ष्यों की सफल प्राप्ति में इस केन्द्र की मुख्य भूमिका होगी।

(3) **विभाग/जिला स्तरीय समितियां।**

5.1 शीर्ष रणनीतिक अभिकरण (स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद)

रणनीतिक मार्गदर्शन हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद नामक एक शीर्ष रणनीतिक अभिकरण का गठन किया जाएगा। इसके सदस्य स्वैच्छिक क्षेत्र के होंगे तथा यह परिषद :

(1) राज्य स्वैच्छिक क्षेत्र सम्बन्धी नीति की क्रियान्विति में मार्गदर्शन का कार्य करेगी। यह परिषद राज्य स्वैच्छिक क्षेत्र सम्बन्धी नीति को राज्य की सम्पूर्ण विकास नीति से जोड़ने का कार्य करेगी।

(2) राज्य के क्रमबद्ध विकास उद्देश्यों की प्राप्ति में स्वैच्छिक क्षेत्र के स्वस्थ योगदान की मॉनिटरिंग करेगी।

(3) स्वैच्छिक क्षेत्र की गतिविधियों के सुसंगत परिचालन हेतु सभी राजकीय विभागों, अभिकरणों एवं निजी क्षेत्र के सहयोग को सुनिश्चित करेगी।

(4) राज्य के विकास एवं नीति निर्धारण में स्वैच्छिक संगठनों को बढ़ावा देकर उन्हें योग्य बनाने तथा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने में मार्गदर्शन देने का कार्य करेगी।

(5) स्वैच्छिक क्षेत्र के विकास एवं दीर्घजीविता हेतु संसाधनों का सुसंगत संग्रहण एवं क्षमता वृद्धि हेतु सम्भावित प्रयास करेगी।

(6) जनजीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु स्वैच्छिक क्षेत्र के योगदान को बढ़ावा देने एवं स्वैच्छिक क्षेत्र के प्रभावी विकास हेतु अन्य आवश्यक गतिविधियों को प्रारम्भ करेगी।

5.2 कार्यान्वयन एवं मान्यता अभिकरण (स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र)

स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र, स्वैच्छिक क्षेत्र की प्रतिनिधि संस्था होगी। इस केन्द्र के मुख्य निम्न कार्य होंगे :-

(1) सरकार के साथ साझेदारी हेतु एक स्वतंत्र, सृजक, प्रभावी स्वैच्छिक संगठन क्षेत्र को योग्य बनाना, प्रेरित करना एवं उसका सशक्तीकरण करना।

(2) स्वैच्छिक संगठन क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सुशासन (Good Governance) को प्रोन्नत करना।

(3) स्वैच्छिक संगठनों को प्रभावित करने वाले मुद्दों की सिफारिश करना।

(4) राजस्थान में स्वैच्छिक संगठनों की प्रथम बार मान्यता प्रक्रिया तथा नवीनीकरण की प्रक्रिया का प्रबन्धन करना।

(5) स्वैच्छिक संगठनों एवं राज्य के विकास में योगदान पर विस्तृत, विश्वसनीय एवं अद्यतन डाटा आधार एवं सूचना तंत्र निर्मित करना। ये सूचना तंत्र एक गतिमान अनुसंधान कार्यक्रम से समर्थित होगा।

(6) स्वैच्छिक संगठनों से उनके वार्षिक लेखों की प्रतियां प्राप्त करना जिससे उनके द्वारा कानूनों एवं इस नीति की पालना की जांच तथा राज्य के विकास में उनके योगदान का निर्धारण किया जा सके।

(7) राज्य के विकास में स्वैच्छिक क्षेत्रों के योगदान एवं प्रभाव की स्थिति के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर उसका विस्तृत प्रचार करना।

(8) स्वैच्छिक संगठनों के मध्य विवादों को निपटाना एवं समाधान हेतु पंच की भूमिका निभाना।

(9) इस नीति की क्रियान्विति हेतु अपनयी जाने वाली प्रक्रिया के लागू होने की स्थिति का आकलन करना तथा ठीक प्रकार से क्रियान्विति सुनिश्चित करना।

(10) मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों की क्षेत्रवार सूची तैयार करना जिससे राजस्थान सरकार के सम्बन्धित विभागों द्वारा स्वैच्छिक संगठनों की नियुक्ति में सुविधा हो।

(11) स्वैच्छिक संगठनों एवं राज्य सरकार को संसाधनों की प्राप्ति हेतु सुझाव देना। राज्य एवं स्थानीय स्तर पर स्वैच्छिक क्षेत्र नीति एवं सम्बन्धित कार्यक्रमों की क्रियान्विति में स्वैच्छिक संगठनों की उपयोगिता की मॉनिटरिंग करना।

(13) राज्य में स्वैच्छिक संगठन क्षेत्र के हिस्सेदारों को नेतृत्व प्रदान करना, मानक निर्धारित करना तथा गुणवत्ता वृद्धि हेतु आश्वस्त करना।

(14) सदस्यों के साथ विचार विमर्श कर स्वैच्छिक क्षेत्र हेतु अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदण्ड एवं आचार संहिता लागू कर उसको लोकप्रिय बनाना तथा उसके प्रति जागृति पैदा करना। इस आचार संहिता की अवहेलना के सम्बन्ध में परिषद द्वारा सामान्य जनों, सदस्यों, राजकीय निकायों एवं स्वैच्छिक संगठनों से शिकायतें एवं याचिकाएं प्राप्त करना।

5.2.1 केन्द्र की सदस्यता

परिषद की सदस्यता उन स्वैच्छिक संगठनों के लिए खुली होगी जो निम्नानुसार पंजीकृत हों :

(1) राजस्थान संस्थाएं पंजीकरण अधिनियम, 1958

(2) न्यास पंजीकरण अधिनियम

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत लाभ रहित कम्पनी।

(4) फण्डिंग अभिकरण

अन्य राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रचलित कानून के अन्तर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन भी इस केन्द्र की सदस्यता हेतु पात्र होंगे। सदस्यता शुल्क रुपये 1000/– प्रति वर्ष होगा। इस केन्द्र के सदस्य बनने से निम्न लाभ होंगे :–

(1) संगठनों का केन्द्र की वेबसाइट पर दर्ज होना।

(2) अधिक वित्तीय सहायता एवं अन्य प्रकार का समर्थन प्राप्त होने की सम्भावना।

(3) सरकार एवं फण्डिंग एजेन्सीज की नीति को प्रभावित करने के अवसर।

(4) राज्य सरकार को विभिन्न क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों में सहयोग करना।

(5) बड़े कार्यक्रमों की सदस्यता के आधार पर लाभ के अवसरों तक पहुंचाना।

(6) संचालक मण्डल के सदस्यों के चुनावों में भाग लेना इत्यादि।

5.2.2 केन्द्र का संगठन

इस केन्द्र के निम्न अंग होंगे :-

(1) सामान्य सभा

(2) संचालक मण्डल

(3) मान्यता समिति

(4) सचिवालय

केन्द्र के सदस्यों से सामान्य सभा का गठन होगा। सभी सदस्यों को समान मत का अधिकार होगा। सामान्य सभा की वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी।

केन्द्र का प्रबन्धन, संचालक मण्डल के प्रति उत्तरदायी होगा। संचालक मण्डल के गठन हेतु पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे। राज्य सरकार एवं सदस्य स्वैच्छिक संगठनों के चुने हुए सदस्यों से सामान्य सभा का गठन किया जाएगा। संचालक मण्डल की त्रैमासिक बैठकें आयोजित की जाएंगी।

केन्द्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य सरकार के एक प्रतिनिधि एवं अरावली संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सम्मिलित कर मान्यता समिति का गठन किया जाएगा। परिषद के कार्यों की क्रियान्विति हेतु सरकार द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान लेखा सेवा तथा राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा के अधिकारियों का प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन किया जाएगा।

5.2.3 केन्द्र के लिए धनराशि से स्रोत

परिषद के लिए धनराशि के निम्न स्रोत होंगे :

(1) सदस्यता शुल्क

(2) मान्यता शुल्क

(3) राज्य सरकार से अनुदान सहायता

(4) केन्द्र सरकार से अनुदान सहायता

सदस्यता शुल्क रुपये 1000/- के अतिरिक्त मान्यता हेतु इच्छुक संगठनों से 5000 रुपये मान्यता शुल्क भी लिया जाएगा। वार्षिक समीक्षा एवं नीति की आवश्यकताओं की पूर्ति की शर्त पर मान्यता तीन वर्षों के लिए वैध होगी।

5.2.4 केन्द्र के कार्यों की अन्य प्रक्रियाएं पृथक से अधिसूचित की जाएंगी।

5.3 विभाग व जिला स्तरीय समितियां

स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र द्वारा तैयार एवं क्षेत्र विशेष हेतु मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों की सूची में से ही किसी संगठन को राजस्थान सरकार के इच्छुक विभाग द्वारा कार्य सौंपा जा सकेगा। स्वैच्छिक संगठन का चयन निम्न समिति द्वारा किया जाएगा :

(1) सम्बन्धित विभाग का प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव (अध्यक्ष)

(2) सम्बन्धित विभाग का विभागाध्यक्ष

(3) सम्बन्धित विभाग का लेखा प्रभारी अधिकारी

(4) सम्बन्धित परियोजना का प्रभारी अधिकारी (सदस्य सचिव)

स्वैच्छिक संगठन के चयन में द्विस्तरीय प्रक्रिया अपनायी जाएगी। प्रथम चरण में तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा। तकनीकी मूल्यांकन हेतु संचालक मण्डल द्वारा पृथक से मानदण्ड तक किये जाएंगे। स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र द्वारा क्षेत्र विशेष हेतु मान्य किए गए स्वैच्छिक संगठनों की सूची में से सम्बन्धित विभागों द्वारा परियोजना सम्बन्धी सूचनाएं प्रेषित कर स्वैच्छिक संगठन हेतु मांग की जाएगी। सभी प्राप्त प्रस्तावों को तकनीकी अंक प्रदान करने के पश्चात वित्तीय मूल्यांकन किया जाएगा। विभाग

स्तरीय समिति द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन में सफल रहने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध किया जाएगा।

यदि स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र द्वारा तैयार एवं क्षेत्र विशेष हेतु मान्य स्वैच्छिक संगठनों की सूची में से विभागीय समिति किसी भी स्वैच्छिक संगठन को किसी परियोजना अथवा कार्यक्रम की क्रियान्विति हेतु उपयुक्त नहीं पाती है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित विभाग द्वारा खुली निविदा प्रक्रिया से स्वैच्छिक संगठन का चयन किया जाएगा। यदि जिला प्रशासन सम्बन्धित विभाग के सीधे अधिकार क्षेत्र में आने वाली परियोजना या कार्यक्रम के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य हेतु किसी स्वैच्छिक संगठन को कार्य सौंपना चाहता हो तो ऐसी स्थिति में क्षेत्र विशेष हेतु मान्य एवं स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र द्वारा सूचीबद्ध किये गये स्वैच्छिक संगठनों की सूची में से ही स्वैच्छिक संगठन का चयन किया जाएगा। ऐसी स्थिति में स्वैच्छिक संगठन का चयन निम्न समिति द्वारा किया जाएगा।

1. सम्भागीय आयुक्त (अध्यक्ष)
2. जिला कलक्टर (सदस्य)
3. अध्यक्ष, नगर निकाय (सदस्य)
4. जिला प्रमुख (सदस्य)
5. लेखा प्रभारी अधिकारी (सदस्य)
6. सम्बन्धित परियोजना का प्रभारी अधिकारी (सदस्य सचिव)

इस समिति द्वारा भी स्वैच्छिक संगठन के चयन हेतु पूर्व में सन्दर्भित द्विस्तरीय चयन प्रक्रिया अपनायी जाएगी। जिसके लिए संचालक मण्डल द्वारा दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे।

6.0 प्रणोद क्षेत्र (Thrust Areas)

स्वैच्छिक क्षेत्र द्वारा सेवा प्रदान करने, वकालत करने एवं समुदाय के सशक्तीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की जाती है। भारत सरकार की स्वैच्छिक क्षेत्र सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के प्रणोद क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, कुशलता उन्नयन, उद्यमिता विकास, महिला

सशक्तीकरण, जनसंख्या स्थिरीकरण, एच.आई.वी./एड्स के विरुद्ध लड़ाई, जल प्रबन्धन, प्रारम्भिक शिक्षा एवं वन प्रबन्धन सम्मिलित हैं।

इस नीति के अन्तर्गत आरम्भिक रूप से निम्न प्रणोद क्षेत्र सम्मिलित हैं :

इस नीति के अन्तर्गत आरम्भिक रूप से निम्न प्रणोद क्षेत्र सम्मिलित हैं :

(1) ग्रामीण विकास।

(2) जल संरक्षण एवं सुरक्षा।

(3) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता।

(4) शिक्षा एवं कौशल उन्नयन।

(5) स्वास्थ्य सावधानी एवं जागृति।

(6) वनरोपण एवं पर्यावरण संरक्षण।

(7) भौतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों यथा वन, मरु सीमान्त, शहरी झुग्गियों आदि में रहने वाले समुदायों का सशक्तीकरण करना।

(8) महिलाओं, खाद्य अरक्षितों, एड्स पीड़ितों, अनाथ एवं अन्य अतिसंवेदनशील समूहों की सहायता करना।

(9) अतिसंवेदनशील समूहों यथा नि:शक्त एवं भूमिहीनों की उत्पादकता क्षमता को विकसित करना।

(10) जनता के मानवीय एवं नागरिक अधिकारों की रक्षा करना।

(11) भेदभाव कम करने वाले रवैये एवं व्यवहार में परिवर्तन को प्रोत्साहित करना।

(12) जनसंख्या स्थिरीकरण।

(13) उपभोक्ता संरक्षण।

राजस्थान सरकार की अन्य प्राथमिकताओं पर भी इस नीति को लागू करने हेतु राज्य सरकार द्वारा इसे विस्तार प्रदान किया जा सकेगा।

7.0 स्वैच्छिक क्षेत्र हेतु समर्थ वातावरण पोषित करना

स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र द्वारा प्रचार एवं सूचनाओं के लेन देन हेतु परस्पर लाभकारी, प्रभावी आन्तरिक एवं बाह्य संचार तंत्र विकसित किया जाएगा। इस केन्द्र द्वारा यथा–सम्भव स्वैच्छिक क्षेत्र के दीर्घकालीन अस्तित्व को बनाए रखने हेतु धनराशि के प्राप्ति अवसरों तथा लेन देन हेतु एक सूचना तंत्र स्थापित किया जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रणाली के प्रचार द्वारा सुशासन में सर्वश्रेष्ठ स्वैच्छिक संगठन चिन्हित किए जाएंगे। स्वैच्छिक संगठनों को अभिनव एवं पथ प्रदर्शक कार्यों को अपनाने हेतु प्रेरित किया जाएगा। सरकार स्वैच्छिक क्षेत्र में कार्य करने वाले पूर्ववर्ती एवं नवीन उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने वाले संगठनों को समर्थन देगी। मुख्य मसौदों के डाटा एवं फण्डिंग की सूचना उपलब्ध कराने में विभिन्न राजकीय विभागों एवं एजेन्सीज की वेबसाइट एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेगी।

स्वैच्छिक संगठनों को सरकार, निगमित क्षेत्र, सामान्य जनता, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संगठनों से धनराशि प्राप्त होती है, अत: जनता एवं दाता संगठनों में स्वैच्छिक संगठनों के प्रति अधिक विश्वास पैदा करने हेतु इन संगठनों को जनता की जांच के लिए खुला रखना आवश्यक है। सरकार के साथ कार्य करने वाले अथवा समर्थन पाने वाले स्वैच्छिक संगठनों की स्वैच्छिक संगठन विकास केन्द्र द्वारा मॉनिटरिंग एवं समीक्षा की जाएगी।

8.0 क्षमता विकास

राज्य सरकार, स्वैच्छिक संगठनों को क्षमता वृद्धि हेतु प्रोत्साहित करेगी। स्वैच्छिक क्षेत्र के साथ रचनात्मक सम्बन्धों हेतु हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, इन्दिरा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान एवं अन्य राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण हेतु मॉड्यूल्स विकसित किए जाएंगे। राज्य सरकार प्रबन्धन कौशल तथा रणनीतिक योजनाएं तैयार करने एवं स्वैच्छिक क्षेत्र के अनुभवों के परस्पर लेन–देन को प्रोत्साहित करेगी। प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं नीति के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा धनराशि प्रदान की जाएगी।

9.0 स्वैच्छिक क्षेत्र के साथ साझेदारी

यह नीति स्वैच्छिक संगठनों की समयबद्धता एवं विस्तृत सामाजिक आधार को स्वीकार करती है। सरकार द्वारा विकास लक्ष्यों को अर्जित करने में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की जाती है। स्वैच्छिक क्षेत्र ने भी महसूस किया है कि सरकार के साथ कार्य करने से और अधिक दक्षता प्राप्त होती है। सरकार के कुछ कार्यक्रमों एवं नीतियों के क्रियान्वयन में स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग की आवश्यकता होती है। नीति इन तथ्यों को भी मानती है कि स्वैच्छिक संगठन क्षेत्र में उन वंचित वर्गों व अगम्य क्षेत्रों में पहुंचने, अभिनव कार्यों एवं लक्ष्यों को अर्जित करने की क्षमता है जो अधिकारिक एजेन्सीज के लिए जटिल है।

यह नीति स्वैच्छिक क्षेत्र के साथ त्रिस्तरीय सहयोग का अवसर प्रदान करती है।

(अ) स्वैच्छिक संगठन क्षेत्र के सदस्यों को सम्मिलित कर बनाई गई स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद स्तर पर रणनीतिक सहयोग।

(ब) विधायी स्तरीय सहयोग में स्वैच्छिक संगठन विकास केन्द्र एवं सम्बन्धित राजकीय विभाग के मध्य नियमित परामर्श का अवसर।

(स) क्रियान्वयन स्तरीय सहयोग। यह सहयोग द्विशाखा वाला होगा (1) राजकीय योजनाओं व परियोजनाओं के क्रियान्वयन तें स्वैच्छिक क्षेत्र के विशेषज्ञों का उपयोग (2) अध्ययन रिपोर्ट्स हेतु स्वैच्छिक संगठनों से कुशल कार्मिकों की सेवाओं के लिए सरकार द्वारा धनराशि देना।

ये योजनाएं सर्वेक्षण, अनुसंधान, जनजागृति अभियान, प्रशिक्षण, लोक कल्याणकारी सेवाओं के सृजन एवं क्रियान्वयन सम्बन्धी हो सकती हैं। स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से परियोजना क्रियान्वयन भी स्वैच्छिक क्षेत्र हेतु समर्थन का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है।

10.0 मान्यता

नीति में निर्धारित पात्रता रखने वाले स्वैच्छिक संगठन विकास केन्द्र द्वारा मान्यता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग द्वारा उनकी योजनाओं, कार्यक्रमों

एवं परियोजनाओं की क्रियान्विति हेतु स्वैच्छिक क्षेत्र की चयन प्रक्रिया, आवश्यक पात्रता एवं तकनीकी ढांचे हेतु विस्तृत विवरण पूर्व में वर्णित है।

10.1 आवश्यक पात्रता

राजस्थान राज्य में मान्यता हेतु इच्छुक स्वैच्छिक संगठनों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में राज्य सरकार द्वारा उल्लिखित अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र को मान्यता हेतु आवेदन किया जाएगा।

10.2 प्रक्रिया

मान्यता हेतु इच्छुक संगठनों द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण अंकित करते हुए एवं आवश्यक समस्त दस्तावेजों सहित मान्यता हेतु अनुरोध किया जाएगा। मान्यता प्रपत्र को किसी राजकीय संस्था द्वारा भी तैयार किया जा सकेगा। प्रस्तुत किये गये आवेदन में सूचनाओं तथा सह समर्थित दस्तावेजों के अभाव में मान्यता देने से इन्कार किया जा सकता है।

एक बार दी गई मान्यता तीन वर्ष के लिए मान्य होगी। स्वैच्छिक संगठनों को पुन: मान्यता प्राप्ति हेतु निर्धारित मान्यता प्रपत्र में अनुरोध करना होगा।

यह नीति एक गतिशील तंत्र है। प्रारम्भिक चरण में स्वैच्छिक संगठन क्षेत्र के विकास हेतु सुविधाएं प्रदान करना, स्वैच्छिक संगठनों की स्वायत्तता एवं पहचान प्रभावित किए बिना राजस्थान सरकार एवं स्वैच्छिक संगठनों के मध्य कार्यकारी सम्बन्ध स्थापित करना इस नीति का प्राथमिक उद्देश्य है।

ARAVALI

Association for Rural Advancement through Voluntary Action and Local Involvement

JAIPUR HEAD OFFICE
Patel Bhawan, HCM-RIPA (OTS), J. L. N. Marg, Jaipur-302017 India.
Telefax : 0141-2701941, 2710556
E-mail : aravali-rj@nic.in Web : www.aravali.org.in